किशोरावस्था – किसकी ज़िम्मेदारी ?

पंकज अरोड़ा*

जब हम किशोर-किशोरियों की दुनिया को नज़दीक से समझने का प्रयास करते हैं, हम पाते हैं कि हम उनकी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। पिछले कुछ समय में ऐसे ही अनुभवों ने मुझे यह अहसास करवाया कि भले ही मुझे किशोरावस्था शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ते-पढ़ाते हुए १६-१७ साल हो गए हों लेकिन आज भी मैं इनकी दुनिया से उतना ही अनजान हूँ जितना २० साल पहले था। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, क्रिकेट से लेकर फुटबॉल तक, मेकअप से लेकर ब्रेकअप तक, फ़ेसबुक, वाट्सअप और यू-ट्यूब की अद्भुत दुनिया इन किशोर-किशोरियों को कैसे आकर्षित और प्रभावित करती है, इसे बहुत नज़दीक से समझने का मौका मुझे मिला। लेकिन मेरा यकीन मानिए यदि आप किशोर-किशोरियों की वास्तविक एवं काल्पनिक दुनिया को देखें, तो यह किसी मसाला फ़िल्म से कम नहीं दिखेगी। दोस्ती, प्रेम, आदर, निराशा, कुंठा, घर से भाग जाने के खयाल, एक-तरफ़ा प्यार, अकेलापन तथा और भी बहुत कुछ, इस दुनिया का अभिन्न हिस्सा हैं। हम व्यस्कों के बनाए हुए सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक या भौगोलिक दायरे इन किशोर-किशोरियों की समझ से परे हैं, ये इन्हें पसंद भी नहीं करते, समझना भी नहीं चाहते और समझाने का प्रयास करने पर जो तीखे, तार्किक लेकिन सरल प्रश्न खड़े करते हैं, उन प्रश्नों के सामने मैंने अपने आपको अनेक अवसरों पर लाचार पाया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जीवन की इस अमूल्य अवस्था की ज़िम्मेवारी किसकी है – अभिभावकों की, अध्यापकों की या सामूहिक रूप से समाज की?

इस साल गर्मियों की छुट्टियों में, मुझे अपने किशोर बेटे (16 वर्ष) और किशोरी बेटी (15 वर्ष) के साथ गुणात्मक (Qualitative) समय व्यतीत करने का मौका मिला। कई सुबह एवं शाम इन दोनों के साथ बातचीत करते हुए मुझे अवसर मिला कि मैं इनकी दुनिया को इनके नज़रिये से समझ सकूँ। यूँ तो पिछले

* *एसोसिएट प्रोफ़ेसर,* केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 110007

4-5 वर्षों से ही उनके साथ नज़दीकी से जुड़ा था, लेकिन इन छुट्टियों ने मुझे दोनों किशोरवय बच्चों की एक नयी दुनिया से मिलने का मौका दिया। इस दुनिया में, कल्पनाओं, संघर्ष, रोमांस, फ़िल्में, इनकी अपने-अपने दोस्तों और चचेरे/ममेरे भाई-बहनों से होने वाली बातचीत और भविष्य की योजनाएँ, यह सब चौंका देने वाली और कभी-कभी परेशान कर देने वाली होती हैं। वॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, क्रिकेट से लेकर फुटबाल तक, मैकअप से लेकर ब्रेकअप तक, फ़ेसबुक, वॉट्सअप और यू-ट्यूब की अद्भूत दुनिया इन किशोर-किशोरियों को कैसे आकर्षित और प्रभावित करती है, इसे बहुत नजदीक से समझने का मौका मुझे मिला। इन किशोर-किशोरियों पर परीक्षा संबंधी तनाव, साथियों का दबाव, अच्छे अंक लाने की होड़ आदि कैसा भयानक असर डालती है और कितनी गहराई से इन्हें प्रभावित करती है यह सब विचलित कर देने के लिए पर्याप्त थे। ये किशोर-किशोरियाँ फ़िल्मी सितारों, एलबम के गानों से अपने आप को किस तरह जोड़ लेते हैं यह समझना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था।

'किशोरावस्था शिक्षा' और इससे जुड़े विभिन्न उपविषयों को पढ़ते-पढ़ाते हुए मुझे लगभग 16-17 वर्ष बीत गए, या यूँ कहूँ कि इन क्षेत्रों में कार्य करने की मेरी अवस्था कब किशोरावस्था में पहुँच गई मुझे पता ही नहीं चला। किशोरावस्था एवं इससे संबंधित विषयों में इतने रोचक उपविषय, जीवंत कहानियाँ, गहराई भरे लेख व पुस्तकें कैसे समय को उड़ा ले गयीं, समझ ही नहीं आया। इंटरनेट पर तो किशोरावस्था संबंधी लेखन सामग्री, विडियो फ़िलम्स् एवं देश-विदेश के अनोखे प्रयोग इतने उतार-चढ़ावों से भरे हैं कि एक जीवन में उन्हें समझना व आत्मसात् करना असंभव सा प्रतीत होने लगा है। कहने को तो किशोरावस्था शिक्षा एवं इससे संबंधित विभिन्न आयाम, अध्ययन - अध्यापन, विभिन्न चर्चाओं, विभिन्न सेमिनारों से जुड़ा प्रतीत होता है। लेकिन मेरा यकीन मानिए यदि आप किशोर-किशोरियों की वास्तविक एवं काल्पनिक (Virtual) दुनिया को नज़दीक से देखेंगे, तो यह किसी मसाला हिंदी फ़िल्म से कम नहीं दिखेगी। दोस्ती, प्रेम, आदर, निराशा, कुंठा, घर से भाग जाने के खयाल, एक-तरफ़ा प्यार, अकेलापन तथा और भी बहुत कुछ, इस दुनिया का अभिन्न हिस्सा हैं। हम व्यस्कों के बनाए हुए सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक या भौगोलिक दायरे इन किशोर-किशोरियों की समझ से परे हैं, ये इन्हें पसंद भी नहीं करते, समझना भी नहीं चाहते और समझाने का प्रयास करने पर जो तीखे, तार्किक लेकिन सरल प्रश्न खड़े करते हैं, उन प्रश्नों के सामने मैंने अपने आप को अनेक अवसरों पर लाचार पाया है।

अब सवाल यह खड़ा होता है कि इन किशोर-किशोरियों की दुनिया के प्रति हम व्यस्क लोगों का क्या रवैया होना चाहिए? क्या इनकी दुनिया को जानना, समझना हमारे लिए उपयोगी है? इनकी दुनिया को समझने से किसे फ़ायदा होगा-हमें या इन्हें? ऐसे बहुत से सवाल हमारे सामने उठ खड़े होते हैं। जब हम या तो किशोर-किशोरियों को समझना नहीं चाहते या अपने अनुभवों और अपनी मान्यताओं को उनके ऊपर थोप देना चाहते हैं।

जब हम अपने-आपको इनके सवालों के सामने लाचार और निरूत्तर पाते हैं, तब हम अधिक कठोरता एवं झुँझलाहट के साथ ऐसे सवालों को बेमानी या समय से पहले पूछे जाने वाले सवाल घोषित कर देते हैं। मैं सबके बारे में बात न करते हुए, किशोरावस्था शिक्षा एवं उससे जुड़े आयामों को माता-पिता एवं अध्यापकों के संदर्भ में ज़रूर उपयोगी मानता हूँ। कहीं न कहीं विद्यालयी जीवन एवं पारिवारिक जीवन बच्चों और किशोर-किशोरियों पर ऐसा गहरा प्रभाव डालते हैं, जो जीवन भर के लिए इनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बन जाता है। यह अभिन्न अंग इनके व्यस्क होने पर इनकी दुनिया, जीवन साथी, भावी पीढ़ी एवं सहकर्मियों-पर तो असर डालता है, साथ ही साथ इनके ज़िम्मेवार, सजग एवं तार्किक नागरिक के रूप में कार्य करने को भी प्रभावित करता है। बहुत आवश्यक है कि इनके प्रश्नों, मुद्दों एवं विचारों के प्रति संवेदनशील रहते हुए कार्य किया जाए। किशोरावस्था शिक्षा के प्रति अभिभावकों का सक्रिय होना उनकी व्यस्तताओं, परंपराओं, रूढ़ियों एवं शिक्षा स्तर के संदर्भ में सीमित माना जा सकता है, परंतु अध्यापक वर्ग तो शिक्षित है एवं व्यवसायिक रूप से किशोर पीढ़ी के साथ कार्य करता है। जाने-अनजाने में वह इन किशोर-किशोरियों की सोच एवं व्यवहार पर असर डालता है।

किशोरावस्था को विभिन्न समाजों में वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नता के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। किशोरावस्था में होने वाले विकास एवं वृद्धि का व्यक्तित्व के सभी पक्षों पर प्रभाव पड़ता है और इससे संबंधित भ्रातियाँ या गलत सूचनाएँ किशोर पीढ़ी को गहराई से प्रभावित करती हैं। जो उसके व्यवहार, रूचियों व भावी जीवन में स्पष्टत: दिखाई देते हैं। इस अवस्था में होने वाले तनाव, उत्तेजना तथा बचाव की शैली से निपटने के लिए किशोर पीढ़ी में मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक समर्थन की विशेष आवश्यकता होती है। किशोरावस्था शिक्षण के द्वारा इस संबंध में स्पष्टता विकसित की जानी चाहिए न कि इस अज्ञानता का शिकार बनना चाहिए।

आइए यह जानने और समझने का प्रयास करें कि किशोर-किशोरियों के जीवन से संबंधित मुद्दों की शिक्षा का भारतवर्ष में क्या इतिहास रहा। यूँ तो हज़ारों वर्षों से मानव विकास की इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन अध्ययन का केंद्र रहे हैं। किंतु इस शब्द का प्रथम उपयोग 20वीं शताब्दी में अमेरिका में किया गया था।

किशोरावस्था शिक्षा के सैद्धांन्तिक स्वरूप को समझने के लिए विकासवादी मनोवैज्ञानिकों के कार्यों को समझना आवश्यक है। इसमें मुख्य रूप से *स्टनले हॉल (1844-1924) के जैविक, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतो, सिगमंड फ्रॉयड के किशोर-विकास संबंधी मनो-विश्लेषणात्मक सिद्धांत, किशोरों की बचाव रणनीति का सिद्धांत तथा एरिक्सन के 'अस्मिता के विकास' के सिद्धांत को समझना आवश्यक है।*

भारतवर्ष में किशोरावस्था शिक्षा की अवधारणा अन्य देशों की भाँति, यौन-शिक्षा के नाम से पहले ही अस्तित्व में है। स्वास्थ्य-शिक्षा, शारीरिक-शिक्षा तथा स्वच्छता संबंधी-शिक्षा अलग-अलग समय पर महत्वपूर्ण रही है।

भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत यह सिफ़ारिश की गयी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को पाठ्यक्रम-संयोजक होने के नाते किशोर वर्ग में विषम जेंडर तथा यौन-व्यवहार के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने के लिए समुचित प्रबंध करने चाहिए। 1990 के दशक में किशोरों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति व यौन व्यवहार से जुड़ी समस्याओं के बढ़ते हुए दबाव ने यौन-शिक्षा के समावेश पर चर्चा को आरंभ किया। महामारी की तरह बढ़ते हुए एच.आई.वी. एड्स ने विद्यालयी शिक्षा, शिक्षकों की शिक्षा तथा उच्च स्तर पर यौन-शिक्षा को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया।

'किशोर-शिक्षा' शब्द का प्रयोग पहली बार एशिया पैसिफ़िक के लिए यूनेस्को के मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय बैंकॉक द्वारा 'सैक्स शिक्षा' पर एक पैकेज के शीर्षक के रूप में किया गया। *राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्* ने इसे न सिर्फ़ 'यौन शिक्षा' के रूप में अपनाया अपितु इसके क्षेत्र में किशोर प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को शामिल करके व्यापक भी बनाया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत किशोर-किशोरियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सूचना, परामर्श व सेवाएँ प्रदान करने हेतु कदम उठाने पर बल दिया गया। *राष्ट्रीय एड्स नीति 2001, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002* जैसी नीतियाँ किशोर/किशोरियों हेतु भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई गईं।

2004 में सभी माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत किशोरों को एच.आई.वी./एड्स से बचाव के बारे में शिक्षा देना भारत सरकार की राष्ट्रीय कार्यात्मक योजना का महत्वपूर्ण भाग बना। जिसमें इस शिक्षा की तात्कालिक आवश्यकता को पहचानते हुए केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण के प्रयासों को नेतृत्व प्रदान करने का संकल्प लिया। शिक्षा सचिवों और प्रोजैक्ट डायरेक्टर, राज्य एड्स नियंत्रण समिति के मध्य किशोरावस्था शिक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसे 'एडोलसंस एजुकेशन – नेशनल फ्रेमवर्क एंड स्टेट एक्शन प्लान 2005-2006' के नाम से जाना जाता है, में माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभागों व नाको (NACO) ने किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम को एच.आई.वी./एड्स से बचाव और सकारात्मक व्यवहार के विकास को मुख्य तत्व माना क्योंकि एच.आई.वी./एड्स को बहु-क्षेत्रीय समस्या के रूप में पहचाना गया।

किशोरावस्था-शिक्षा को शिक्षा नीति में स्थान देते हुए इसके सभी महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना और स्कूल एड्स एजुकेशन प्रोग्राम को व्यापक करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एन.वी.एस. तथा नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ़ ओपन स्कूल जैसी मुख्य नोडल** संस्थाओं को उनके अपने क्रियाकलाप – आधारित क्रियात्मक योजना विकसित करने के लिए कहा गया।

हालाँकि भारत में किशोरावस्था शिक्षा का इतिहास जनसंख्या-शिक्षा एवं यौन व्यवहार की शिक्षा पर आधारित है किंतु आज किशोरावस्था शिक्षा अपने उद्देश्यों के संबंध में व्यापक है जो कि किशोरों के जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ी हुई है।

वर्तमान में जीवन कौशल शिक्षा को कौशल–आधारित उपागम के साथ किशोरावस्था शिक्षा में अपनाया गया है। कौशल–आधारित किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम को विभिन्न राज्यों हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, *केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्* द्वारा विकसित किया गया है। जीवन कौशल उपागम मुख्यत: व्यक्ति केंद्रित व आवश्यक जीवन कौशलों के विकास पर केंद्रित है, जिससे किशोरों को उनके जीवन की समस्याओं को सुलझाने हेतु सक्षम बनाया जा सके। यह उपागम कौशल अधिगम में और सामाजिक व पर्यावरणीय संबंधी जागरुकता फ़ैलाने में सहायक होता है जिसका लक्ष्य है स्वास्थ्य व सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करना।

वर्तमान समय में *राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्* इस बात पर बल देता है कि किशोरावस्था शिक्षा विद्यालय–के विभिन्न शैक्षणिक विषयों के शिक्षण व अधिगम के साथ-साथ पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों, विद्यालय प्रार्थनासभा, सदन की गतिविधियों तथा मूल्यांकन व्यवस्था आदि में शामिल कर संस्थाओं की संपूर्ण व्यवस्था का भाग बन सके ताकि एकीकृत उपागम प्रभावी बन सके।

अब प्रश्न यह उठता है कि किशोरावस्था के विशिष्ट मुद्दों व चुनौतियों के संदर्भ में केंद्रीय भूमिका रखने वाले अध्यापकों के इस संदर्भ में क्या विचार हैं? वे इस ज़िम्मेवारी को निभाने के लिए कितने तैयार हैं? इसी तथ्य को समझने के लिए विभिन्न विद्यालयों के 100 से अधिक अध्यापक-अध्यापिकाओं के किशोर-अवस्था शिक्षा के संदर्भ में विचार जानने का प्रयास किया गया है। अध्यापक-अध्यापिकाओं के छोटे-छोटे समूहों से विभिन्न अवसरों पर की गई बातचीत व सामूहिक चर्चा से निम्नलिखित मुख्य बिंदु सामने आए -

1. आधे से अधिक अध्यापक-अध्यापिकाओं का मानना था कि किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम विद्यार्थियों को ज़िम्मेदार नागरिक बनाने में सहायक है, विशेषत: 'जीवन कौशल की शिक्षा' युवा पीढ़ी को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार करती है।
2. किशोरावस्था शिक्षा संबंधी विभिन्न विषयों और उपविषयों के संचालन के लिए पाठ्यक्रम – सहगामी क्रियाएँ महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती हैं। इनमें विभिन्न विडियो शो दिखाना एवं अंत:सदन प्रतियोगिताएँ आयोजित करना उपयोगी सिद्ध होता है।
3. 'किशोरावस्था शिक्षा' शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान हो सकती है। इसमें यौन-स्वास्थ से जुड़े विभिन्न आयाम भी रूचिकर एवं उपयोगी सिद्ध होते हैं।
4. किशोरावस्था शिक्षा के सफ़ल संचालन हेतु आवश्यक सुविधाएँ जैसे-पत्र-पत्रिकाएँ,

विडियो-शो हेतु आवश्यक सामग्री इत्यादि की भारी कमी है।

ऊपर लिखे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के अलावा इन चर्चाओं में यह भी स्पष्ट हुआ कि आधे से भी कम अध्यापक-अध्यापिकाएँ किशोरावस्था शिक्षा में अपनी भूमिका की समझ रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इन अध्यापक-अध्यापिकाओं में किशोरावस्था शिक्षा के प्रति खुला समर्थन हो, बल्कि बहुत से अध्यापक-अध्यापिकाएँ तो विभिन्न शंकाओं एवं रूढ़ियों से ग्रसित हैं। वह किशोरावस्था शिक्षा को मुख्यत: यौन-शिक्षा का पर्याय मान लेते हैं। समझाने के प्रयास, अनावश्यक बहस और भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की दुहाई संबंधी तर्कों से भटक जाते हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि सेवाकालीन अध्यापकों में से किशोर-अवस्था शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाले अध्यापक-अध्यापिकाओं की पहचान की जाए एवं उन्हें किशोरावस्था शिक्षा से जुड़े, विभिन्न मुद्दों की विषय-वस्तु का ज्ञान करवाया जाए, साथ ही साथ, इसके लिए समूचित शिक्षण विधियों एवं गतिविधियों की भी शिक्षा दी जाए।

जिस प्रकार किशोरावस्था शिक्षा के लिए सेवाकालीन अध्यापकों के आधे से अधिक वर्ग का अनमना रवैया है, उसे देखते हुए लगता है कि सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में किशोर अवस्था शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना आवश्यक है। इसी संदर्भ में केंद्रीय शिक्षा संस्थान से सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा प्राप्त कर रहे, युवक-युवतियों के दो समूहों से किशोरावस्था शिक्षा संबंधी 5 सामान्य प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों के मिले उत्तरों का विश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि इन छात्र अध्यापकों की किशोर अवस्था शिक्षा के विभिन्न मुद्दों के प्रति क्या समझ व रवैया है।

ये युवा छात्र शिक्षक देश के अलग-अलग प्रांतों- बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान एवं उत्तरी-पूर्वी प्रदेशों के रहने वाले हैं। इनका आयु वर्ग 22-28 वर्ष है तथा भाषाई एवं धार्मिक रूप से भी यह वर्ग बहुलता प्रधान है। इन दो समूहों से पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण प्रश्नवार रूप से नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

इन समूहों में से पहला समूह (255 छात्र/छात्रओं का) है जो वर्ष 2011-12 में बी.एड. कर रहा था। दूसरा समूह (85 छात्र/छात्रओं का) है जो वर्ष 2012-13 में बी.एड. कर रहा था।

प्र 1.किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं?

दोनों समूहों से इस प्रश्न के प्राप्त उत्तरों में निम्नलिखित बातें उभर कर सामने आती हैं।

- यह शारीरिक व जैविक विकास की अवस्था है। सामाजिक बदलाव की अवस्था है।
- बाल-अवस्था से प्रौढ़-अवस्था की ओर विकास की अवस्था है।
- इसमें सही-गलत संबंधी मूल्यों का विकास होता है।
- भावनात्मक परिपक्वता आती है।
- भावनात्मक बदलाव की अवस्था है।

इसके अलावा किशोरावस्था को जिज्ञासाओं की अवस्था भी कहा गया है। जिसमें मित्र-मंडली का महत्व बढ़ जाता है। विपरीत जेंडर के प्रति होने वाले आकर्षण को इस समूह ने समान्य माना है आयु की दृष्टि से इस समूह ने 10-19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था माना है।

दोनों समूहों से प्राप्त उत्तरों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि दोनों समूह किशोर अवस्था के संबंध में मुख्य तौर पर सही जानकारी रखते हैं।

प्र 2. आपके विचार में किशोर-अवस्था में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

दोनों समूहों से इस प्रश्न के प्राप्त उत्तरों में निम्नलिखित बिंदु उभर कर आते हैं-

- गलत धारणाएँ एवं चिंताएँ उभर आती हैं, या विकसित होती हैं।
- परिवार व समाज से द्वंद् होता है। जिसमें अस्मिता का प्रश्न केंद्र में रहता है।
- यौन विकास से जुड़ी जिज्ञासाएँ एवं समस्याएँ प्रभावी होती हैं।
- उचित मार्गदर्शन करने वाले की कमी महसूस होती है।
- विपरीत जेंडर एवं शारीरिक छवि के प्रति संचेतता प्रभावी होती है।
- साथियों का दबाव व सांवेगिक बदलाव के संबंध में संतुलन बनाना कठिन हो जाता है।
- अश्लील साहित्य देखने और पढ़ने में रूचि बढ़ जाती है।
- इसके अलावा किशोरावस्था के दौरान सिगरेट, तंबाकु, एवं अन्य नशीले पदार्थों की तरफ़ भी रुचि होने लगती है। यौनिकता संबंधी जिज्ञासा अपनी प्रकाष्ठा पर होती है। हालाँकि कुछ युवक-युवतियों ने माना है कि दूसरों से बात करने में शर्म महसूस होना एवं अपनी बढ़ती यौन इच्छाओं को नियंत्रित करना भी इन समस्याओं का अभिन्न हिस्सा है।

प्र 3. एक सह-शिक्षा विद्यालय में, आप लड़के एवं लड़कियों की मित्रता को कैसे परिभाषित करेंगे?

दोनों समूहों से इस प्रश्न के प्राप्त उत्तरों में निम्नलिखित बिंदु उभर कर आते हैं-

- यह स्वास्थ्य और संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह भावी जीवन की तैयारी है।
- लड़के-लड़कियों की मित्रता से सांवेगिक एवं शारीरिक समझ का विकास होता है।
- यौन विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है एवं स्वस्थ्य संबंधों का विकास होता है।
- ऐसी मित्रता प्राय: शारीरिक एवं मानसिक आनंद से प्रेरित होती है।
- विपरीत जेंडर के प्रति आकर्षण स्वभाविक है, इसमें खुली मानसिकता एवं सहज सोच को बढ़ावा मिलता है।

उपरोक्त बिंदुओं के अलावा इन समूहों ने यह भी कहा कि सामान्यत: लड़के-लड़कियों की मित्रता को समाज मान्यता नहीं देता, जबकि कुछ युवक-युवतियों का मानना है कि ऐसी मित्रता जेंडर के प्रति संवेदनशील बनाती है।

प्र 4. 'यौन शिक्षा' को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए?

दोनों समूहों से इस प्रश्न के प्राप्त उत्तरों में निम्नलिखित बिंदु सामने आए हैं-

- जेंडर संबंधी समस्याओं की शिक्षा।
- यौनिकता संबंधी गलत धारणाओं एवं भ्राँतियों को दूर करने की शिक्षा।
- यौन संक्रमित रोगों एवं एच.आई.वी./एड्स के संबंध में शिक्षा।

- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी शिक्षा।
- विपरीत जेंडर के प्रति सम्मान एवं शारीरिक संरचना की शिक्षा।
- किशोरावस्था संबंधी वृद्धि एवं विकास के प्रति उचित दृष्टिकोण के विकास में सहायता परस्पर संबंधों एवं संप्रेषण के कौशलों की शिक्षा।

ऊपर लिखे बिंदुओं के अलावा यह भी कहा गया कि ''यौन-शिक्षा लड़के एवं लड़कियों को यौन-अंगों तथा यौन-क्रियाओं की जानकारी देती है। हारमोनस् में बदलाव का यौनिकता से संबंध एवं सुरक्षित यौन संबंधों को भी यौन-शिक्षा का अंग कहा गया है।''

प्र 5. 'यौन शिक्षा' के विशिष्ट संदर्भ में आप एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं?

दोनों समूहों से इस प्रश्न के प्राप्त उत्तरों में निम्नलिखित बिंदु उभर कर आए हैं-

- किशोर-किशोरियों को समझने वाला एवं खुले मस्तिष्क का अध्यापक।
- गलत-धारणाओं एवं जानकारी को वैज्ञानिक जानकारी से सुधारने वाला अध्यापक।
- संवेदनशील मुद्दों पर बात करने का वातावरण देना एवं उसके लिए आवश्यक डॉक्टर या परामर्शदाता की सहायता उपलब्ध कराना।
- विद्यार्थियों को ज़िम्मेदार बनाना।
- मैत्रीपूर्ण व्यवहार से विद्यार्थियों को बात कहने के लिए प्रोत्साहित करना।

उपरोक्त लिखित बिंदुओं के अतिरिक्त यह भी कहा गया कि 'यौन-शिक्षा' विषय की आवश्यकता नहीं है। कुछ छात्र-अध्यापक-अध्यापिकाओं का मानना है कि ऐसे विषय के लिए लड़कों एवं लड़कियों की कक्षाएँ अलग-अलग होनी चाहिए।

पिछले पृष्ठों पर दिए गए सेवा-कालीन अध्यापक-अध्यापिकाओं एवं सेवापूर्व अध्यापक-शिक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त विचारों का अध्ययन स्पष्ट करता है कि सेवा-पूर्व अध्यापक-शिक्षा के विद्यार्थियों का रवैया किशोरावस्था से स्वयं को आसानी से जोड़ पा रहा है एवं किशोरावस्था के मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील जान पड़ते हैं। इस संदर्भ में मेरा विश्वास है कि किशोरावस्था शिक्षा जैसे विशिष्ट विषय की चुनौतियों के संदर्भ में सेवाकालीन शिक्षकों को तो जल्दी-जल्दी, छोटे-छोटे समूहों में शिक्षा देना आवश्यक है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सेवा-पूर्व अध्यापक-शिक्षा कार्यक्रमों में किशोरावस्था-शिक्षा को महत्व दिया जाए जिससे भावी अध्यापकों की पीढ़ी किशोरावस्था की समस्याओं एवं चुनौतियों के प्रति संवेदनशील रहते हुए ज़िम्मेवार एवं विकासशील नागरिक तैयार कर सकें।

आज, बच्चे मानव तस्करी का शिकार हो रहे हैं, यौन-शोषण का शिकार हो रहे हैं, मानव अंगों की तस्करी में उपयोग किए जा रहे हैं या घरेलू नौकर-नौकरानियों के तौर पर अपना बचपन खो चुके हैं। 2012 से 2013 में यौन अपराधों की संख्या में 35.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यौन-हिंसा छोटे-बड़े शहरों, ग्रामीण इलाकों में समान रूप से फ़ैल रही है। 80 प्रतिशत से भी ज़्यादा मामलों में यौन अपराधी जान पहचान का होता है। 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी

की रिपोर्ट में यौन अपराधों के प्रति सख्त कानून बनाये जाने के बावजूद यौन अपराधों की बढ़ती हुई संख्या हमें समझाती है कि समस्या की जड़ें कहीं और ही हैं। जब-जब देश में युवा पीढ़ी के व्यवहार पर चर्चा हुई तब-तब हमारे धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं ने युवा पीढ़ी के व्यवहार एवं बढ़ती यौन हिंसा पर ऐसी हास्यास्पद एवं शर्मनाक टिप्पणियाँ कीं जिनसे इन नेताओं का मानसिक दिवालियापन स्पष्टरूप से दिखाई देता है। *मुलायम सिंह यादव* की लड़कपन संबंधी टिप्पणी, *टी.एम.सी. नेता* की बलात्कार करवा देने की धमकी, *आसाराम* जैसे प्रतिष्ठित धार्मिक नेता पर लगे आरोप एवं इससे पहले *निर्भया कांड* संबंधी उनकी टिप्पणी मेरी इन बातों को समझाने के लिए पर्याप्त है।

आज का युवा लोक-लाज और सामाजिक मर्यादाओं को अधिक महत्व न देते हुए स्त्री-पुरुष के संबंधों की नयी व्याख्या दे रहा है। अच्छा पुरुष और अच्छी औरत वही होते हैं, जो 'विषमजेंडर' हों, यह एक पुराना विचार हो चुका है। युवा पीढ़ी वैकल्पिक यौनिकता (LGBT) को भी सामाजिक मान्यता देना चाहती है। **दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद-377** की पुन: व्याख्या को इस पीढ़ी ने स्वीकार नहीं किया है। वह इस पर खुली बहस और नये नज़रिये से व्याख्या करना चाहते हैं, *लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर (LGBT)* जैसी अभिव्यक्तियों को सामाजिक कलंक बताकर, कई बार सामाजिक व कानूनी सजा देकर दबाने की कोशिश की जाती है अर्थात् हमारे समाज में वैकल्पिक यौनिकता के संदर्भ में सोचना, समझना या जानने का प्रयास करना प्रश्नात्मक व समस्यात्मक बन जाता है।

आज भारत में *2014 की राष्ट्रीय युवा नीति* हमारे सामने है, जिसने 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को युवा वर्ग माना है तथा इनकी आवश्यकताओं व संबंधों पर ध्यान देने का ज़ोरदार पक्ष रखा है। 2015 तक भारत को अमेरिका, चीन व जापान के बाद विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। *राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान* के अनुसार *2020* तक भारत की जनसंख्या 1.3 अरब हो जाएगी, जिसकी औसत आयु 28 वर्ष होगी।

चीन व जापान में वर्ग, जाति, धर्म, जेंडर तथा यौनिकता आदि अनेक सामाजिक श्रेणियाँ (उपश्रेणियाँ) मौजूद हैं इन्हीं के आधार पर समाज या सामाजिक संस्थानों में भूमिकाओं और दर्जाबंदी का सुव्यवस्थित एवं स्थित ढाँचा बना हुआ है। समाज में लोग इन्हीं के आधार पर अपनी भूमिकाओं का चयन एवं निवर्हन करते हैं। भारतीय समाज विभिन्न आयु, परिवेश एवं जेंडर के लोगों से उनकी संबंधित भूमिकाओं का पालन करने की अपेक्षा रखता है हालाँकि इस तरह की धारणा मानव विभिन्नता को समझने में बाधा उत्पन्न करती है। यह हमारी सोच और व्यवहार को संकुचित और संदर्भित भी करती है।

अत: आवश्यकता है कि मानव समाज की विभिन्नताओं के स्तर एवं संभावित वैकल्पिकता के संदर्भ को देखा एवं समझा जाए। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र (भारत) में वह वातावरण व परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जिनमें प्रत्येक व्यक्ति

एक गरिमामय जीवन जी सके। यदि हम पुरुष और नारी के संबंधों को ही देखें तो साफ़ दिखाई देता है कि इनके संबंध एक तरफ़ा हैं, समानता के व्यवहार पर आधारित नहीं हैं। पुरुष व महिला की सामाजिक भूमिकाएँ, परिवार में योगदान, आर्थिक स्वतन्त्रता आदि कुछ ऐसे सामान्य से क्षेत्र हैं जिन पर पुरुष अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। यह द्वंद्व प्रत्येक आयु समूह में, कुछ कम या अधिक, पाया जाता है। इस असमान व्यवहार की परिणति घरेलू हिंसा एवं यौन-अपराधों में दिखाई देती है।

पिछले कुछ समय से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। *दिसंबर 2012 में निर्भया बलात्कार कांड* के बाद राजधानी दिल्ली सहित भारत के तमाम छोटे-बड़े शहरों में जिस तरह प्रदर्शन हुए, उनसे ऐसा लगने लगा कि भारतीय समाज अब पहले के मुकाबले ज़्यादा जागरुक हुआ है। जुलाई-2014 में एक आर.टी.आई. के जवाब में पता चला कि केवल दिल्ली में प्रतिदिन 18 बच्चे (लड़के-लड़कियाँ) गायब हो रहे हैं। अब यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि गायब होने वाले बच्चों की यह संख्या वास्तविक संख्या की अपेक्षा काफ़ी कम होगी। भारतीय युवा जनसंख्या की बहुलता के कारण भारत को 'युवा *मानव पूँजी'* *(Human Capital of the Youth)* के संदर्भ में देखा जा रहा है।

इस युवा मानव पूँजी की शक्ति और ऊर्जा समाज/देश को नयी ऊचाईयों तक ले जा सकती है। ऐसे में विद्यालय शिक्षा में जीवन कौशल की शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा (जिसमें प्रजनन स्वास्थ्य भी शामिल है) का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में निम्नलिखित प्रश्न स्वाभाविक रूप से हमारे समाने आते हैं–

- क्या इस युवा भारत के लिए हमारे पास ठोस रोज़गार योजना है?
- क्या यह युवा समाज महिला व पुरुष के स्वास्थ्य एवं बराबरी पर आधारित संबंधों की महत्ता को समझ पाएगा?
- क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था इस युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कर पा रही है?

ऐसे अनेक सवाल हमारे सामने आते हैं जिनका काफ़ी हद तक समाधान संतुलित, प्रभावी एवं व्यवसाय से जोड़ने वाली शिक्षा के माध्यम से ढूँढा जा सकता है। संवेदनशील जागरुक एवं प्रतिबद्ध नागरिक ही भारत का भविष्य हैं एवं उन्हें केवल शिक्षा के माध्यम से ही विकसित किया जा सकता है। हमारे अध्यापकों को वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करना होगा एवं युवा पीढ़ी के प्रश्नों का उत्तर ढूँढने में सहयोग करना होगा। इसके लिए हमें अपनी *शिक्षा नीति, रोजगार नीति, युवा नीति* को नए सिरे से देखना होगा।

संदर्भ

अरोड़ा, पंकज. 2005. *'विद्यालयों में यौन शिक्षा'*, प्रभात प्रकाशन, नयी दिल्ली

एनऐसीओ एंड यूनिसेफ़. 2005. *नॉलेज इन पॉवर एडोलसेंस ऐजुकेशन,* नेशनल फ्रेमवर्क एंड स्टेट एक्शन प्लान (2005-2006).

एनपीईपी एंड एडोलसेंस कॉनसेप्ट्युल फ्रेमवर्क. 2007. एडोलसेंस ऐजुकेशन इन स्कूल, लाइफ़ स्किल डेवलपमैंट, एन.सी.ई.आर.टी.

दीक्षित, वंदना. 2008. *अ स्टडी ऑफ़ एडोलसेंस एजुकेशन इन टीचर ऐजुकेशन प्रोग्राम,* एम.फ़िल. डिजरटेशन, दिल्ली, सी आई ई, डिपार्टमेंट ऑफ़ ऐजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ़ दिल्ली.

मूले, डी.एस. 2009. *कोपिंग विथ एडोलसेंस सेक्सुअलिटी,* एस चाँद एंड कंपनी लि. पब्लिकेशन, रामनगर, नयी दिल्ली.

सीबीएसई. 1998. *आइए बच्चों को बेहतर समझें- सामान्य समस्याओं के समाधान में,* प्रकाशित पुस्तक, दिल्ली